खण्ड-8 संख्या-25

दशम
बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा वादवृत्त
(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)
वृहस्पतिवार तिथि 30 जुलाई, 1992 ई0।

सत्यमेव जयते

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्यः

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- मुझे सी०आई०डी० से जाँच कराने में कोई आपति नहीं है।

श्री रामाश्रय सिंह :- होम सेक्रेटरी ने ऐसा आदेश दिया है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम सी०आई०डी० से जांच करा दें तो वे वह सब पत्र दे दें। सी०आई०डी० से जांच करा देंगे। रामाश्रय बाबू अनुसंधान भी करा देंगे, आदेश-पत्र दे दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष :- हो गया।

(च) नामांकन संबंधी आरक्षण नियम लागू करनेः

श्री अम्बिका प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नामांकन में सरकारी नियमों का उल्लंघन किया जाता रहा है । बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति के हस्तक्षेप से अब कुछ हद तक नियम का पालन होने का वचन दिया गया है, परन्तु नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा में उक्त जातियों के छात्रों का कवालिफाइंग मार्क्स रखकर आरक्षित स्थान से वंचित कर दिया जाता है। जब किविरसा कृषि विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होता । मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी आरक्षित स्थान प्राप्तांक को कम कर भर दिया जाता है।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्यः

अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में भी मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह नामांकन संबंधी आरक्षण नियम लागू किया जाय।

श्री राजो सिंह :- अध्यक्ष महोदय, विधान मंडल में कोई अनशन पर या धरना पर नहीं बैठ सकता है। आपके कार्यालय के नजदीक एक विधायक जी धरना पर हैं लेकिन उनके साथ 3-4 बाहर के लोग भी बैठे हुए हैं। अगर यह इजाजत सदन दे देती, अध्यक्ष दे देंगे तो हमारा विधान-सभा बेली रोड का चौक हो जायेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि विधायक बैठे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन यदि विधायक के अलावा बाहरी लोग बैठे हुए हैं तो उनका प्रवेश कैसे हुआ, किसके प्रवेश की इजाजत दी? इन सारी बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष :- ठीक है। अगर उनके पास प्रवेश-पत्र है तो जिस दीर्घा का प्रवेश-पत्र है, वहां बैठे। अगर प्रवेश पत्र नहीं है तो उनको इसी वक्त बाहर करना चाहिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, श्री राजो सिंह के कहने का ऐसा असर हुआ कि कोई दूसरा आदमी वहां बैठा हुआ नहीं है।

श्री राम जीवन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 90-91 तक

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्यः

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में नामांकन में अनुसूचित जाति के लिये 8 एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 7 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा थी। विधान-सभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति द्वारा ध्यानाकृष्ट किये जाने के बाद विभाग ने राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को निदेश दिया कि वे प्रोवैधिकी एवं चिकित्सा महाविद्यालय में लागू आरक्षण सुविधा केअनुरूप ही नामांकन में अनुसूचित जाति को 14 एवं अनुसूचित जनजाति को 10 प्रतिशत की सुविधा प्रदान करे। यह भी निदेश दिया गया कि पिछले तीन वर्ष यथा 1988-89,1989-90 एवं 1990-91 का जो वैकलॉग होता है, उसे भीआगे के वर्षो में बिना सीटों की संख्या बढ़ाये पूरा करें। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय ने उक्त दोनों निदेश का अनुपालन किया है। तदनुसार वर्ष 1992-92 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को नामांकन में कमशः 14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया है तथा 1992-93 में अनुसूचित जाति के लिये अनुमान्य 48 एवं वैकलॉग 18 कुल 66 के विरूद्ध 83 छात्र अनुसूचित जनजाति के लिये अनुमान्य 35 एवं वैकलॉग 4 कुल 39 के विरूद्ध 48 छात्रों का नामांकन हेतु चयन किया है।

न्यूनतम उत्तीर्णता प्राप्तांक के संबंध में स्थिति यह है कि वर्ष 1991-92 में यह अंक 150 में 50 यानी 33 प्रतिशत सभी के लिये निर्धारित था। परन्तु जहां सामान्य कोटि के छात्रों का नामांकन न्यूनतम 80 से 100 के बीच अंग प्राप्त करने पर होता था वहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों का नामांकन 50 अंक प्राप्त करने पर भी हो जाता था। फिर भी 1992-93 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय ने जहां सामान्य कोटि के लिये न्यूनतम उत्तीर्णता

प्राप्तांक 40 प्रतिशत निर्धारित किया वहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये 30 प्रतिशत । इतना ही नहीं वर्ष 1991-92 में जिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र को 30 प्रतिशत न्यनमू प्राप्तांक मिला वैसे हरिजन एवं जनजाति के लिये कमशः 17 एवं 10 छात्रों को भी 1992-93 वर्ष के चयन सूची में सम्मिलित कर लिया गया।

मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नामांकन में दिये आरक्षण की तरह ही राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में कमशः 14 एवं 10 प्रतिशत आरक्षण है। मेडिकल महाविद्यालय में नामांकन हेतु न्यूनतम उत्तीर्णता प्राप्तांक सामान्य कोटि के लिए 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए 40 प्रतिशत है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय में सामान्य जाति के लिए जो न्यूनतम प्राप्तांक निर्धारित है, उसको दो तिहाई प्राप्तांक अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए निर्धारित है। अतएव राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए निर्धारित सामान्य जाति के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत के विरूद्ध अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाना इस बात को प्रामाणित करता है कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में भी मेडिकल एवं इजीनियरिंग कॉलेज की तरह नामांकन संबंधी आरक्षण नियम लागू किया जा रहा है।

श्री अम्बिका प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में खुद यह स्वीकार किया है कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में जब तक

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्यः

बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति ने आदेश नहीं दिया कि 14 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के हिसाब से नामांकन किया जाए, तब तक वे उतना नामांकन नहीं किया करते थे। अभी जो इन्होंने वहां आदेश का पालन करने की बात कही है और बैकलॉग भरने की बात कहीं है, वहां के विश्वविद्यालय के कुलपति गलत ढंग से बैकलॉग जोड़ते है, मैम्बर को दिखलाते है। लेकिन मुझे पक्की जानकारी है कि वहां बैकॉलग के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि बैकालॅग के मुताबिक के नामांकन नहीं करते हैं और अगर यह प्रमाणित हो जाए तो दोषी पदाधिकारी को हटाने के लिए आप तैयार हैं?

श्री रामजीवन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि पिछले तीन वर्षों का भी जो बैकलॉग था, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 का, उसको भी शामिल कियागया है। इतना ही नहीं, प्राप्तांक में जो कमी थी कि पहले 33 प्रतिशत था उसको 30 किया गया और बीच का जो रेसियो आया उसमें हरिजन छात्रों के लिए 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 किया गया । इसके साथ-साथ जो कैबिनेट ने किया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियम लागू किया है, उसको भी शत प्रतिशत लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष :- माननीय सदस्य का कहना है कि बैकलॉग के नाम पर जो वहां होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्यः

श्री राम जीवन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। इस वर्ष यानी 1992-93 के प्रबंध-बोर्ड में माननीय सदस्य भी हैं। जो इन्होंने तय किया है, जैसा ये तय करते हैं उसकी शत-प्रतिशत लागू किया जाता है। अगर विश्वविद्यालय नहीं करता है तो ये कार्रवाई करने में सक्षम हैं । अगर माननीय सदस्य कोई स्पेशिफिक सूचना देंगे तो अवश्य उस पर कार्रवाई की जाएगी।

श्री अम्बिका प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉज और मेडिकल कॉलेज के नियम यहां भी लागू होते हैं मेडिकल कॉलेज के नियम के संबंध में आरक्षण का एक परिपत्र है, यह है ज्ञापांक 324 (26) दिनांक- 31.10.90 का जिसमें है कि "अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों में से शेष बचे हुए सीटों को उक्त वर्ग के उम्मीदवारों से ही न्यूनतम निर्धारित अंक को शिथिल कर भरा जाए।" तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या एग्रीकल्चर कॉलेज में इस नियम को लागू करने के लिए सरकार तैयार है? होता यह है कि न्यूनतम अंक तय करते हैं और अनेक सीट खाली रह जाते हैं । जहां इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में नियम को शिथिल कर के भर दिया जाता है, वहीं यहां बेईमानी से, एग्रीकच्चर कॉलेज में यही क्यों नहीं होता है? अगर वहां यह नियम लागू हो सकता है तो एग्रीकल्चर कॉलेज में भी इसे लागू करेंगे?

श्री राम जीवन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है, फिर भी माननीय सदस्य कहते है कि इसको देखें, इसमें कहीं भी, मामूली भी, एक प्रतिशत भी आपके अनुसार फर्क पड़ेगा तो उसको तुरंत करेक्ट कर दिया जाएगा।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्यः

श्री अम्बिका प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दो-तीन सदस्यों को लेकर, जिसमें श्री॰ शिवाधार पासवान जी माननीय सदस्य भी, जो हरिजन है, से एक सब-कमिटी बना कर इसकी जांच करवा दी जाए क्योंकि मेरे पास जो चार्ट है, उसमें बैकलॉग में सामान्य कोटि के छात्रों से आरक्षित सीटों को कुलपति ने भर दिया हे, क्या इसकी जांच कराने के लिए सरकार तैयार है?

अध्यक्ष :- माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर हमारे पास कोई स्पेशिफिक केस लाया जाएगा तो उसको करेक्ट किया जाएगा। आप अपनी सूचना दे दी जाए।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका प्रसाद :- अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न यह है कि जिस तरह से हरिजन-आदिवासी के लिए जब तक बिहार विधान-सभा ने आरक्षण के लिए उन्हें आदेश नहीं दिया, उन्होंने इसका पालन नहीं किया था। अभी भी पिछड़े वर्गों, एनेक्सर-1 और एनेकसर-2 को ये आरक्षण नहीं दे रहे है। इस पर उनकी मंशा क्या प्रकट होती है? सरकार को मालूम है कि पिछड़े वर्गों, हरिजनों को अभी वहां नौकरी देने में आरक्षण नहीं दिया जारहा है वर्तमान कुलपित द्वारा? वहां जो नियुक्तियां हुई है, उसमें भी आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है।

अध्यक्ष :- शांति-शांति। माननीय सदस्य श्री अम्बिका प्रसाद के ध्यानाकर्षण

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्यः

सूचना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जिक्र है, पिछड़े तथा एनेक्चर वर्ग (1) एवं (2) का जिक्र नहीं है। दूसरी बात उनके ध्यानाकर्षण सूचना में नामांकन के बारे में उनका सवाल है, एप्वायंटमेंट के बारे में नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री राम जतन सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पूसा एग्रीकल्चर यूनिवार्स्टी सीनेट के सदस्यों को लगातार अवमानना कररहा है और पिछले तीन सालों से कभी एक बार भी इसकी बैठक नहीं बुलायी गयी है इसलिए उसके भाईचांसलर पर प्रिविलेज करना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए।

(व्यवधान)

सर्वश्री ज्ञानेश्वर यादव, सत्य नारायण सिंह एवं बाबू लाल, स०वि०स०

(घ) गंगा के किनारे तटबंध बनाने के संबंध में:

श्री ज्ञानेश्वर यादव :- भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल के कमलाकुंड, इसमाईलपुर, फूलकिया, इतमादपुर, रामनगर, केलाबाड़ी 519 सौदागर मंडल टोला लक्ष्मीपुर भीठाडिमहा, बोचही, नारायणपुर, नवओलीया सम्पूर्ण परवत्ता दियारा पंचायत एवं सिटंगा कराटी और तिनटंगा दियारा पंचायत के लोग आगामी बाढ़ की आशंका से भयग्रस्त है क्यों कि वर्ष 91-92 एवं 92-93 में दियारे की बांध की मरम्मती में रिलीफ से सरकार नेकुछ भी राशि